भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान

ICAR-CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE

Beechwal, Bikaner (Rajasthan) - 334006

बीछ्वाल, बीकानेर - 334006

पत्रावली क्रमांक:07(ii)06/CS/FP Auction/2011/ 9094 दिनांक: 29.01.2018.

स्पीड पोस्ट

सेवामें,

श्री श्रवणराम, पुत्र श्री मोहन कुमार,
वोर्ड नं.8, पेमासर रोड, उदासर,
बीकानेर (राज.)।

विषय:- संस्थान प्रक्षेत्र में लगभग 170 से 200 क्विंटल रोग से ग्रसित एवं आंधी तुफान से टूटी-सूखी लकडियॉ जैसे खेजडी, लसोडों, बेर, नीम, शीशम इत्यादि की खुली नीलामी 18.01.2018 बाबत।

संदर्भ:- संस्थान पत्र सं.07(ii)06/CS/FP Auction/2011/8849 दिनांक 20/22.01.2018.

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके पत्र सं.शून्य दिनांक 24.01.2018 के क्रम में आपको सूचित किया जाता है कि संस्थान प्रक्षेत्र में लगभग 170 से 200 क्विंटल रोग से ग्रसित एवं आंधी तुफान से टूटी-सूखी लकडियॉ जैसे खेजडी, लसोडों, बेर, नीम, शीशम इत्यादि की खुली नीलामी में आपकी अधिकतम बोली रु.90,000/- (रुपये नब्बे हजार मात्र) स्वीकार कर ली गयी है एवं राशि रु.30,000/- (रुपये तीस हजार मात्र) टी.आर-5 सं.07 दिनांक 18.01.2018 तथा शेष राशि रु.60,000/- (रुपये साठ हजार मात्र) टी.आर-5 सं.12 दिनांक 24.01.2018 द्वारा जमा करवा दी गयी है। अत: आपसे अनुरोध है कि संस्थान के प्रभारी फार्म से संपर्क करते हुए निम्नांकित शर्तो पर उक्त लकडीयों ले जाने के लिए कार्य प्रारंभ करें:-

1. केवल कार्य दिवस व कार्यालय समय में ही उपरोक्त कार्य संपन्न करना होगा एवं सामान की निकासी गेट पास द्वारा (सुबह 10.00 से शाम 05.00 बजे तक) की जायेगी।
2. ऑधी से टूट कर नीचे गिरे सूखे पेडों को जड तक खुदाई करके निकालना होगा एवं गड्डे को पुन: मिट्टी से भरना होगा।
3. संस्थान में किसी भी अनुसंधान प्रखण्ड एवं संस्थान की संपत्ति पाइप लाइन, तारबंदी, पौधे इत्यादि को अनुबंधक व उसके श्रमिकों द्वारा कोई क्षति नही पहुचायी जाये अन्यथा इसके लिए अनुबंधक उत्तरदायी होगा एवं इसकी भरपाई अनुबंधक को करनी होगी।
4. उपरोक्त कार्यों हेतु संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार के संसाधन उपलब्ध नही करवाये जायेंगे।
5. संस्थान में कार्यरत बंदी श्रमिकों को उपरोक्त कार्य में अनुबंधक द्वारा नही लगाया जायेगा।
6. उपरोक्त लकडियां अनुबंधक को संस्थान में जहॉ पडी है वहीं से उठानी होगी।
7. अनुबंधक को लेबर रेग्युलेशन एक्ट के अनुरुप कार्य करना होगा।
8. प्राकृतिक आपदा, तेज आंधी, वर्षा, पाला पडना इत्यादी मौसमी परिस्थितियो से होने वाले नुकसान के लिए संस्थान उत्तरदायी नही होगा एवं किसी भी प्रकार की रियायत नही दी जायेगी।
9. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि लकडियों लेते समय संस्थान की अन्य संपत्ति को किसी प्रकार की हानि नही पहुंचे। प्रक्षेत्र में आग जलाना प्रतिबंधित होगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
10. संस्थान में अनुबंध पत्र स्वीकार करने के पश्चात कटाई-छटाई से प्राप्त लकडियों को कार्यादेश जारी होने के 15 दिवस में ले जाना होगा। तत्पश्चात अनुबंधक (ठेकेदार) का कोई हक उन लकडियों पर नही रहेगा। इस अवधि में लकडियों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व अनुबंधक (ठेकेदार) का ही होगा।

लगातार पृष्ठ सं.2 पर

11. बोली की राशि पर लगने वाले सभी प्रकार के कर इत्यादि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता (ठेकेदार) की ही होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा।
12. लकडियॉ ले जाने हेतु भण्डारण रख-रखाव, परिवहन एवं अन्य किसी भी संबंधित कार्य हेतु संस्थान किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नही कराएगा।
13. लकडियॉ के कार्य संपादन हेतु लगाए जाने वाले श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान एवं उनके प्रति सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों के निर्वहन की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता (अनुबंधक) की होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा।
14. वर्णित कार्य के अनुबंध पर यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे संस्थान के मुख्यालय भा.कृ.अनु.परि., नई दिल्ली द्वारा नियुक्त पंच (Arbitrator) को सुपुर्द कर दिया जावेगा। पंच के निर्णय को मानने के लिए दोनो पक्ष बाध्य होंगे।
15. संस्थान को बिना कोई कारण बताए अनुबंध को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार होगा।

यह संस्थान के सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया गया है।

भवदीय,

(कुलदीप पान्डे)
सहायक प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी फार्म, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
2. प्रभारी सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
3. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
4. प्रभारी सुरक्षा, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
5. सतर्कता अधिकारी, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
6. व्यैक्तिक सहायक (निदेशक), भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
7. प्रभारी, ए.के.एम.यु., भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर-संस्थान की वैब साईट व CPP-NIC Portal पर अपलोड करने हेतु।
8. सूचना पट्ट, कार्यालय भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
9. सूचना पट्ट, प्रक्षेत्र कार्यालय भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।

Sh. Sanjay Pant.

सहायक प्रशासनिक अधिकारी